बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :–2/अ०प्र०–1–116/2021 40 /पटना, दिनांक :– 12-9-22

श्री सतीश कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, नवादा अन्तर्गत T04 खानपुर से छिता बीघा पथ के संदर्भ में अधीक्षण अभियंता–सह–राज्य गुणवत्ता समन्यवक, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन दिनांक 06.08.2021 के आलोक में पथ में पायी गयी अनियमितता/त्रुटियाँ के लिए विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1281 अनु0 दिनांक 09.09.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार के द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक 29.09.2021 समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण की समीक्षा मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गयी। समीक्षा में श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य पाया गया।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सतीश कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत के स्पष्टीकरण को स्वीकृत करते हुए इन्हें आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री सतीश कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

6/9/22

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 2/अ०प्र०–1–116/2021 1484 /पटना/दिनांकः– 12-9-22

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा/प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय ऑई0टी0 मैनेजर/श्री सतीश कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/9/22

अभियंता प्रमुख